अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1469 / पन्द्रह–1–2021–33(2) / 21

प्रेषक

आराधना शुक्ला
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

विषयः "प्रोजेक्ट अलंकार" योजनान्तर्गत प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुर्ननिर्माण / जीर्णोद्धार कार्य व अवस्थापना सुविधाएं आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश की छात्र / छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय विद्यालयों का अहम योगदान है। वर्तमान में प्रदेश में 2272 राजकीय विद्यालय संचालित है, जिसके सापेक्ष कतिपय विद्यालय अत्यधिक पुरातन होने के कारण जर्जर स्थिति में हैं। सामान्यतः बजट में पुराने राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण किये जाने हेतु समुचित प्रावधान न हो पाने के कारण कतिपय राजकीय विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं तथा बजट अभाव के कारण कतिपय अन्य राजकीय विद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सम्यक विकास नहीं हो सका है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवन के पुर्ननिर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण इत्यादि कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में संगत मद में रू0 100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि का पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपयोग सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा **"प्रोजेक्ट अलंकार"** योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है।

2– प्रश्नगत योजना से माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालय आच्छादित होंगे।

3– **जनपदीय समितिः–** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपदीय समिति का निम्नवत् गठन किया जायेगाः–

1.	**जिलाधिकारी**	–	**अध्यक्ष**
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
4.	अधिशासी अभिन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड	–	तकनीकी सदस्य

4– जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण किये जाने हेतु प्रस्तर–**5** के अनुसार एक उप समिति का गठन किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–5 / 2015 / ई–8– 1092 / 10–2015–1074 / 2012 दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के द्वारा इम्पैनेल्ड राजकीय निर्माण एजेन्सियों के सापेक्ष किसी एक एजेन्सी के नाम का संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन को उपलब्ध

Scanned with CamScanner

कराया जायेगा। जनपदीय समिति उप समिति द्वारा राजकीय विद्यालयों हेतु प्रस्तावित कार्यों का आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर परीक्षण कर शासन स्तर से अनुमोदित राजकीय कार्यदायी संस्था से लोक निर्माण विभाग की अद्यतन सर्किल दरों पर प्रारम्भिक आगणन गठित कराकर प्रपत्र–1(क) तथा प्रपत्र–2 और प्रपत्र–3 पर शिक्षा निदेशक (मा0) प्रयागराज को समुचित प्रस्ताव उपलब्ध करायेगी।

5– **उप समितिः–** जिलाधिकारी द्वारा राजकीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण किये जाने व निरीक्षणोपरान्त आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण कार्यों को चिन्हित किये जाने हेतु तहसीलवार/विद्यालयवार एक उप समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगाः–

1.	**उप जिलाधिकारी**	–	**अध्यक्ष**
2.	तहसीलदार	–	सदस्य
3.	सम्बन्धित राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के इतर किसी अन्य राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या (जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयवार नामित किया जायेगा।)	–	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।)	–	तकनीकी सदस्य

6– उक्त उप समिति विद्यालयों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण प्रस्तर–7 में अंकित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर किया जायेगा तथा प्रपत्र–1(क)(कॉलम–7 छोड़कर) एवं 1(ख) (कॉलम–6 एवं 7 छोड़कर) तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिला समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

7– जनपदीय समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन के परीक्षण हेतु शिक्षा निदेशक(मा0) की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर परीक्षण किया जायेगाः–

1.	**शिक्षा निदेशक(मा0)**	–	**अध्यक्ष**
2.	वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा, प्रयागराज	–	सदस्य
3.	अपर शिक्षा निदेशक(राजकीय)	–	सदस्य
4.	अपर राज्य परियोजना निदेशक, आर0एम0एस0ए0	–	सदस्य
5.	शिक्षा निदेशक(मा0) द्वारा नामित किसी राजकीय निर्माण एजेन्सी के अधिशासी अभिन्ता से अन्यून स्तर के अधिकारी	–	तकनीकी सदस्य
6.	शिक्षा निदेशक(मा0) द्वारा नामित अधिकारी	–	सदस्य सचिव

8– शिक्षा निदेशक माध्यमिक की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति जनपदीय समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं आगणन का आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर परीक्षण करते हुए शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर योजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्यालयों का क्रमवार प्रस्ताव/आगणन प्रपत्र–1(क), 2, 3 पर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

9– योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में निर्माण कार्यों के चिन्हीकरण हेतु मार्गदर्शी बिन्दु निम्नवत् हैंः–

(क) प्रथमतः निम्न प्रकार के राजकीय विद्यालयों को निम्नानुसार वरीयता क्रम में चिन्हित किया जायेगाः–

Scanned with CamScanner

- ऐसे विद्यालय जो जर्जर हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं रह गये हैं, उनका ध्वस्तीकरण कर नया भवन निर्मित कराया जाना है।
- ऐसे राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) जो कतिपय कारणों से अपूर्ण रह गये हैं तत्पश्चात उनको वरीयता दी जायेगी।
- तत्पश्चात किराये के भवन में संचालित राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) को वरीयता दी जायेगी।

इनके प्रस्ताव प्रपत्र–1 (क) में जनपदीय समिति द्वारा शासन स्तर से अनुमोदित राजकीय कार्यदायी संस्था से लोक निर्माण विभाग की अद्यतन सर्किल दरों पर आगणन गठित कराकर शिक्षा निदेशक(मा0), प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) तदोपरान्त राजकीय विद्यालयों में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधाओं को निम्नांकित वरीयता क्रम में चिन्हित किया जायेगाः—

- स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा।
- बालक/बालिकाओं हेतु पृथक—पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना।
- अतिरिक्त कक्ष—कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)।
- प्रयोगशाला।
- खेल का मैदान/बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट/ओपन जिम।
- बाउण्ड्रीवाल/गेट का निर्माण।
- मल्टीपरपज हॉल।
- साइकिल स्टैण्ड।
- स्मार्ट क्लास।
- पुस्तकालय कक्ष।
- सोलर प्लान्ट की स्थापना।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग।

(ग) उल्लेखनीय है कि राजकीय विद्यालयों में उपर्युक्त चिन्हित कार्यों के सापेक्ष कतिपय कार्य प्रधानमंत्री जन विकास योजनान्तर्गत (पूर्व नाम—एम0एस0डी0पी0), मिनिरल फण्ड, मनरेगा, केन्द्र व राज्य वित्त आयोग की धनराशि, क्रिटिकल गैप व अन्य किसी कन्वर्जन्स स्कीम से किया जा सकता है। अतः जनपदीय समिति द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए उन्हीं मदों को चिन्हित कर निर्माण का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक, प्रयागराज को प्रेषित किया जायेगा, जिनमें अवस्थापना सुविधाओं का विकास किसी कन्वर्जन्स स्कीम से नहीं किया जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यालय लाभान्वित हो सके।

(घ) प्रश्नगत योजनान्तर्गत जिन राजकीय विद्यालयों का चयन किया जायेगा उन विद्यालयों में निःशुल्क पौधारोपण का कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के डी0एफ0ओ0 को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

(च) राजकीय विद्यालयों के बीच बजट आवंटन में प्राथमिकता का निर्धारण स्थापना वर्ष एवं छात्र संख्या के आधार पर किया जायेगा अर्थात पुरातन भवन व ज्यादा

Scanned with CamScanner

छात्र संख्या को वरीयता दी जायेगी। वरीयता निर्धारण हेतु प्रत्येक राजकीय विद्यालय का भारांक प्रस्तर–19 के अनुसार आकलित किया जायेगा।

10– प्रश्नगत कार्य हेतु विभिन्न प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:–

प्रपत्र–1 (क)

जर्जर/किराये के भवन में संचालित/अपूर्ण राजकीय विद्यालयों की जनपदवार सूचना

क्र. सं.	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	छात्र संख्या	चिन्हीकरण का आधार	
					जर्जर/किराये के भवन में संचालित/अपूर्ण राजकीय विद्यालय	अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र–1 (ख)

प्राथमिकता से कराये जाने वाले कार्यों की विद्यालयवार सूचना

जनपद का नाम

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	छात्र संख्या	प्राथमिकता से कराये जाने वाले कार्यों का विवरण			जिला स्तर के विभिन्न फण्ड एवं कन्वर्जन्स के माध्यम से क्या कालम–5 के कार्य कराये जा सकते हैं। (हां/नहीं)	यदि कालम 6 हां है तो क्या यह कार्य किस कन्वर्जन्स स्कीम के अन्तर्गत करायेंगे जायेंगे
1	2	3	4	5			6	7
				निर्माण मद	कराया जाना है अथवा नहीं	अनुमानित लागत		
				1–स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा।				
				2–बालक/बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना।				
				3–अतिरिक्त कक्ष–कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)।				
				4– प्रयोगशाला।				
				5– खेल का मैदान/बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट/ ओपन जिम।				
				6– बाउण्ड्रीवाल/गेट का निर्माण।				
				7– मल्टीपरपज हॉल।				
				8– साइकिल स्टैण्ड।				
				9– स्मार्ट क्लास।				
				10– पुस्तकालय कक्ष।				
				11– सोलर प्लान्ट की स्थापना।				
				12–रेनवाटर हार्वेस्टिंग।				

11– जनपदीय समिति द्वारा प्रपत्र–1(ख) के जिन कार्यों को कन्वर्जन्स से किया जा सकता है, उन कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव को निम्नवत् प्रपत्र–2 पर तैयार कराकर शिक्षा निदेशक(मा0) को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–2

विभिन्न कन्वर्जन्स योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की जनपदवार सूचना

क्र. सं.	जनपद का नाम	विद्यालय नाम	स्थापना वर्ष	छात्र संख्या	जिला स्तर के विभिन्न फण्ड एवं कन्वर्जन्स के माध्यम से क्या–क्या कार्य कराये जाने हेतु चिन्हित किया गया है का विवरण एवं समय सीमा (माह एवं वर्ष)												अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6												7
					1–स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा।	2–बालक / बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना।	3–अतिरिक्त कक्ष–कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)।	4– प्रयोगशाला।	5– स्मार्ट क्लास।	6—बाउण्ड्रीवाल / गेट का निर्माण।	7 साइकिल स्टैण्ड।	8– मल्टीपरपज हॉल।	9–सोलर प्लान्ट की स्थापना।	10–रेनवाटर हार्वेस्टिंग।	11–खेल का मैदान / बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट ओपन जिम।	12–पुस्तकालय कक्ष।	

12– जनपदीय समिति द्वारा प्रपत्र–1(ख) के जिन कार्यों को किसी कन्वर्जन्स स्कीम के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, ऐसे समस्त राजकीय विद्यालयों का प्रस्ताव निम्नवत् प्रपत्र–3 पर तैयार कराकर शिक्षा निदेशक(मा0) को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–3

शासन स्तर पर उपलब्ध बजट से कराये जाने वाले कार्यों की जनपदवार सूचना

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	छात्र संख्या	शासन स्तर पर उपलब्ध बजट से कराये जाने वाले कार्यों का मदवार विवरण एवं अनुमानित लागत												कुल लागत
1	2	3	4	5	6												7
					1–स्वच्छ पाइप पेयजल की सुविधा।	2–बालक / बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना।	3–अतिरिक्त कक्ष–कक्षायें (वर्तमान कितने कक्ष हैं तथा नवीन कक्ष निर्माण का औचित्य)।	4– प्रयोगशाला।	5– स्मार्ट क्लास।	6—बाउण्ड्रीवाल / गेट का निर्माण।	7 साइकिल स्टैण्ड।	8– मल्टीपरपज हॉल।	9–सोलर प्लान्ट की स्थापना।	10–रेनवाटर हार्वेस्टिंग।	11–खेल का मैदान / बैडमिन्टन व वॉलीवाल कोर्ट ओपन जिम।	12–पुस्तकालय कक्ष।	

13– शिक्षा निदेशक(मा0) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रपत्र–1(क), 2 एवं 3 का परीक्षणोपरान्त त्रुटिहीन व निर्माण किये जाने वाले विद्यालयों एवं मदों की प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

14— प्रश्नगत योजना को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नवत् समयसीमा निर्धारित रहेगी:—

क्र.सं.	कार्यवाही का स्तर	समय—सीमा
1—	जिलाधिकारी द्वारा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8 के शासनादेश संख्या—5/2015/ई—8—1092/10—2015—1074/2012 दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के द्वारा इम्पैनेल्ड राजकीय निर्माण एजेन्सियों के सापेक्ष किसी एक एजेन्सी के नाम का संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 08—10—2021 तक
2—	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रपत्र—1 (क) व 1 (ख) को तैयार कराकर जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 08—10—2021 तक
3—	जिला स्तरीय समिति द्वारा राजकीय विद्यालय के कार्यों का चयन एवं अनुमानित प्रारम्भिक आगणन का प्रपत्र—1(क), प्रपत्र—2 व प्रपत्र—3 पर शिक्षा निदेशक, प्रयागराज को प्रेषण।	दिनांक 27—10—2021 तक
4—	जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रारम्भिक आगणन को शिक्षा निदेशक(मा0) प्रयागराज द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 03—11—2021 तक
5—	शिक्षा निदेशक(मा0) प्रयागराज से प्राप्त आगणन का मूल्याकनोंपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।	दिनांक 17—11—2021 तक

15— कार्य की गुणवत्ता हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन किया जायेगा।

16— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के समस्त प्रस्तावित विद्यालयों का आगणन गठित करते समय तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से परियोजना पूर्ण होने तक कार्यों का नियमित अनुश्रवण/स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17— जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद को स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र एवं जनपदीय टास्क फोर्स की गुणवत्ता आख्या शिक्षा निदेशक (मा0) प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

18— योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालय में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अधोमानक व कोई अन्य अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।

19— प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वरीयता निर्धारण आकलित किये जाने हेतु भारांक का नियम:—

(क) विद्यालय के स्थापना वर्ष के आधार पर अंक का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:—

विद्यालय की आयु = 2021—स्थापना वर्ष

- विद्यालय के आयु के प्रथम 30 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए अंक—0.5

Scanned with CamScanner

- विद्यालय के आयु के अगले 40 वर्ष तक अर्थात् 31 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य प्रत्येक वर्ष के लिए अंक–1.0
- विद्यालय के आयु के अगले 30 वर्ष तक अर्थात् 71 वर्ष से 100 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए अंक–1.5
- जिन विद्यालयों की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है, उन्हें पूरे अंक अर्थात् 100 अंक दिये जायेंगे।

<u>उदाहरण–</u> यदि विद्यालय 85 वर्ष पुराना है तो उसका अंक निम्नवत् होगा:–

विद्यालय की आयु –85 वर्ष

= 30 +40+15 वर्ष

अंक = 30 X 0.5+40X1.0+15X1.5

= 15+40+22.5

= 77.5

(ख) विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर अंक का निर्धारण

- जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 2000 या उससे अधिक होगी, उन्हें 100 अंक दिया जायेगा।
- जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 2000 से कम होगी उनमें प्रत्येक 20 छात्र संख्या हेतु 01 अंक दिया जायेगा।

<u>उदाहरण–</u> यदि विद्यालय में छात्र संख्या 1200 है तो उसका अंक निम्नवत् होगा:–

1200/20=60

(ग) विद्यालय की स्थापना वर्ष व छात्र संख्या से सम्बन्धित अंकों से भारांक की गणना

- विद्यालय की आयु के आधार पर प्राप्त अंक को 60% भारांक (Weightage) दिया जायेगा।
- विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर प्राप्त अंक को 40% भारांक (Weightage) दिया जायेगा।

<u>भारांक निर्धारण हेतु सूत्र</u>

विद्यालय का भारांक = (स्थापना वर्ष के आधार पर अंक X 0.6)+ (छात्र संख्या के आधार पर अंक X 0.4)

<u>उदाहरण–</u> यदि विद्यालय की आयु के आधार पर अंक है–30 तथा छात्र संख्या के आधार पर अंक है –40 तो, भारांक निम्नवत् होगा:–

भारांक = (30 X 0.6)+ (40 X 0.4)

= 18+16=34

नोट:– भारांक समान होने की दशा में पुरातन भवन को वरीयता प्रदान की जायेगी।

20– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना **(प्रोजेक्ट अलंकार)** के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किये जाने हेतु उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रारूप पर वांछित सूचना निर्धारित तिथि एवं समय पर अपेक्षित स्तर व शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूँकि **प्रोजेक्ट अलंकार योजना** समुचित एवं सुरक्षित परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सम्बंधी शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत है, अतएव समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीया

01.X.2021

(आराधना शुक्ला)

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2— स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7— निजी सचिव, सचिव, भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10— समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ0प्र0।
11— समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0 ।
12— समस्त जिला खनन अधिकारी, उ0प्र0।
13— समस्त अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
14— समस्त उपायुक्त, मनरेगा, उ0प्र0।
15— समस्त डी0एफ0ओ0, वन विभाग, उ0प्र0।
16— अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय), प्रयागराज।
17— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner